प्र.सं. 22/18

(25-1-19)

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में तनकियात कायम किये गये जो निम्नानुसार हैं।

1) क्या सायरी देवी पत्नी किशना भील के स्थान जमाबन्दी में सायरी पुत्री किशना भील लिखा गया है जो गलत है।?

अनुतोष ?

तहसीलदार बदनोर ने तहरीर पेश की और स्विकार किया कि लिपिकीय भूलवश सायरी पत्नी किशना भील के स्थान पर सायरी पुत्री किशना भील लिखा गया है जिसे दुरुस्त कर सायरी पत्नी किशना भील किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा से जाहिर है कि सायरी देवी किशना भील की पत्नी है। तहसील बदनोर ने भी अपनी तहरीर में भी लिपिकीय भूलवश सायरी देवी पत्नी किशना भील के स्थान पर सायरी देवी पुत्री किशना भील लिखा गया है जिसे दुरुस्त कर सायरी देवी पत्नी किशना भील कीया जाना जाहिर किया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायरी देवी पुत्री किशना भील के स्थान पर सायरी देवी पत्नी किशना भील किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

मौजा ग्राम आकडसाही की आराजी नं: 2629, 2631, 2638, 2639 व 2640 किता 05 कुल रकबा 0.85 हैक्टर में जमाबंदी में दर्ज सायरी पुत्री किशना के बजाए सायरी पत्नी किशना भील दर्ज किया जावे। तहरीर तहसीलदार बदनोर को जारी हो।

25.1.19 सहायक कलेक्टर (हस्ता.)

पालनार्थ–तहरीर

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर,(एस.डी.ओ.),बदनोर जिला–भीलवाडा

क्रमांक / न्याया. / 2019 / 396

दिनांकः–25 / 01 / 2019

13.5.19

निमित्तः– तहसीलदार बदनोर

(दो प्रति में)

विषयः–प्र0सं0 22 / 2018 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 25 / 01 / 2019 की पालना के कम मे।

अनवान

खमाण पिता हजारी भील निवासी जैतगढ़ वगै0 तहसील बदनोर जिला–भीलवाडा। **प्रार्थीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब बदनोर तहसील बदनोर। **विपक्षी**

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण के कम लेख है कि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण द्वारा पेश आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–136 एल.आर.एक्ट में निर्णय दिनांक 25.01.2019 को अदालत में स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आकडसादा पटवार हल्का आकडसादा तहसील बदनोर की खाता संख्या 405 की आराजी नं0 2629 रकबा 0.12 है0, आ0नं0 2631 रकबा 0.27 है0, आ0नं0 2638 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 2639 रकबा 0.12 है0, आ0नं0 2640 रकबा 0.16 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.85 हैक्टयर की दर्ज खातेदार सायरी पुत्री किशना के बजाय दुरस्ती से **सायरी पत्नी किशना भील** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में मय जमाबन्दी नकल आदि के इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.),बदनोर
S.D.O.